



2026:AHC: 84733

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 3648/2002

हरी सिंह और एक अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.के. जैन, अजय दुबे, राजेश कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल

1. यह अपील अपीलकर्ताओं द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट, संख्या 4, आगरा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 249 वर्ष 2000 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 04.09.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 130 वर्ष 1998, थाना- बाह, जिला आगरा से उत्पन्न है, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत क्रमशः 5 वर्ष के कारावास और 2000/- रुपये के अर्थदंड के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

2. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राहुल अस्थाना को सुना गया।

3. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि 21.06.1998 को लगभग 13:30 बजे, सूचनाकर्ता प्रमोद कुमार ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने परिवार के साथ चित्रगुप्त नगर में एक किराए के मकान में रह रहा है। उसकी नाबालिग बहन राज किशोरी, जो अपनी जन्म तिथि 16.04.1981 के अनुसार नाबालिग थी, को 13.06.1998 को अभियुक्तों अर्थात् हरि सिंह, मनोज कुमार, श्रीमती शांति देवी और श्रीमती सुनीता देवी द्वारा बहला-फुसलाकर ले

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जाया गया था। यह आरोप है कि घटना की तिथि पर, पीड़िता को अभियुक्तों द्वारा दवा दिलाने के बहाने ले जाया गया था और उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। उक्त तिथि पर, शिकायतकर्ता घर पर उपस्थित नहीं था और अपने पैतृक गांव गया हुआ था। उसके लौटने पर, उसकी पत्नी ने उसे घटना के बारे में सूचित किया।

4. लिखित रिपोर्ट के आधार पर, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और एक सामान्य डायरी प्रविष्टि तैयार की गई। मामले की विवेचना की गई और भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए और उन्हें पढ़कर सुनाए गए। उन्होंने अपराध स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग किया

6. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल 6 गवाहों का परीक्षण किया है, अर्थात् अभियोजन गवाह-1 श्रीमती शांति देवी, शिकायतकर्ता की पत्नी, अभियोजन गवाह-2 प्रमोद कुमार, शिकायतकर्ता, अभियोजन गवाह-3 राज किशोर शर्मा, अभियोजन गवाह-4 बहोरी लाल, अभियोजन गवाह-5 हेड कांस्टेबल ऊदल सिंह और विवेचना अधिकारी सौराज सिंह, अभियोजन गवाह-6।

7. दस्तावेजी साक्ष्य, लिखित रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, सामान्य डायरी की कार्बन प्रति, नजरी नक्शा और आरोप-पत्र अभिलेख पर उपलब्ध हैं, जिन्हें अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा साक्ष्य में विधिवत साबित किया गया है।

8. अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में, अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। बचाव में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने, और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात, हरि सिंह और मनोज कुमार के विरुद्ध निष्कर्ष दिए और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया तथा पांच वर्ष के कारावास और 2000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, वे छह महीने का अतिरिक्त सादा कारावास भुगतेंगे। हालांकि,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विचारण न्यायालय ने अभियुक्त श्रीमती शांति देवी और श्रीमती सुनीता देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के अंतर्गत अपराधों से दोषमुक्त कर दिया। सिद्धदोष अभियुक्तों हरि सिंह और मनोज को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

10. दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय से व्यथित होकर, यह अपील प्रस्तुत की गई है।

11. यह प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय का निर्णय और आदेश अवैध है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विरुद्ध है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय का निर्णय केवल अनुमान पर आधारित है। उसी साक्ष्य में, दो व्यक्तियों को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय अपास्त किया जाए और अभियुक्तों को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

12. राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय का समर्थन करते हैं।

13. इस अपील में, विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है और दोषसिद्धि तथा दंडादेश का निर्णय विधि में पोषणीय है।

14. सूचनाकर्ता अभियोजन गवाह-2 प्रमोद कुमार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह घटना के समय उपस्थित नहीं था और उसने जो कुछ भी कहा वह उसकी पत्नी द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित था। अभियोजन का मामला मुख्य रूप से सूचनाकर्ता की पत्नी अभियोजन गवाह-1 श्रीमती शांति देवी की गवाही पर निर्भर करता है जिसने कहा कि पीड़िता ने पेट दर्द की शिकायत की और अभियुक्त हरि सिंह के पास गई, जो पेशे से एक डॉक्टर है और उसका दवाखाना शिकायतकर्ता के घर के पास स्थित था। अभियुक्त ने उससे कहा कि दवा उसकी दुकान में उपलब्ध नहीं थी और उसे बाजार ले गया। हालांकि, गवाह पीड़िता के साथ नहीं थी, इसलिए, उसे अभियुक्त और पीड़िता के बीच हुई बातचीत के बारे में कैसे पता चला, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तरह की बातचीत के संबंध में उसका बयान स्पष्ट रूप से सुधार की प्रकृति का है, जो उसकी गवाही की सत्यता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है।

15. कथित घटना 13.06.1998 को हुई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट 21.06.1998 को दर्ज की गई थी। इस तरह के विलंब के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह स्थापित विधि है कि कथित व्यपहरण/अपहरण के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अस्पष्टीकृत विलंब अभियोजन की कहानी के बारे में संदेह पैदा करता है।

16. शिकायतकर्ता की पत्नी का आचरण भी अस्वाभाविक है, क्योंकि उसने न तो पुलिस को तुरंत सूचित किया और न ही मामले की रिपोर्ट करने के प्रयास किए। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही उल्लेख है कि आनंद दुबे नाम के एक व्यक्ति ने पीड़िता को अभियुक्तों के साथ जाते देखा था, लेकिन उक्त गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण गवाह का परीक्षण न किया जाना अभियोजन मामले के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान को जन्म देता है।

17. अभियोजन पक्ष ने अभियोजन गवाह-3 राज किशोर शर्मा और अभियोजन गवाह-4 बहोरी लाल का स्वतंत्र गवाहों के रूप में परीक्षण किया जिन्होंने आगरा में एक टेम्पो में पीड़िता को अभियुक्तों के साथ देखने का दावा किया था। हालांकि, अपनी प्रति-परीक्षा में, अभियोजन गवाह-3 राज किशोर शर्मा ने कहा कि टेम्पो बड़ा था और उसमें अन्य यात्री भी थे। जबकि अभियोजन गवाह-4 बहोरी लाल ने कहा कि टेम्पो छोटा था और उसमें कोई अन्य यात्री नहीं था। यह तात्त्विक विरोधाभास अभियोजन मामले की जड़ तक जाता है। इसके अलावा, दोनों गवाहों ने स्वीकार किया कि उन्होंने टेम्पो को लगभग 100 मीटर की दूरी से देखा था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनका शिकायतकर्ता और उसके परिवार से कोई लेना-देना नहीं था, जिससे इस बात पर गंभीर संदेह पैदा होता है कि वे लगभग 100 मीटर की दूरी से पीड़िता को कैसे पहचान सकते थे। जब वे शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों के बारे में नहीं जानते थे तो विचारण न्यायालय ने भी अभियोजन गवाह-3 राज किशोर शर्मा और अभियोजन गवाह-4 बहोरी लाल की गवाही पर भरोसा नहीं किया।

18. विचार के लिए मुख्य मुद्दा यह है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के आवश्यक तत्व युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 विधिपूर्ण संरक्षकता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



से व्यपहरण के लिए दंड का प्रावधान करती है। अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 361 इस प्रकार है:-

"विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण"

जो कोई किसी अवयस्क को, यदि वह नर है तो सोलह वर्ष से कम आयु का, या यदि वह नारी है तो अठारह वर्ष से कम आयु की, या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को ऐसे अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक के संरक्षण में से, ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अवयस्क या व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।"

19. इस धारा में निम्नलिखित आवश्यक तत्वों के प्रमाण की आवश्यकता है:-

- 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग को ले जाना या बहला-फुसलाकर ले जाना।
- ले जाना विधिपूर्ण संरक्षकता के संरक्षण से बाहर होना चाहिए।
- इस तरह ले जाना या बहला-फुसलाकर ले जाना उसके विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना होना चाहिए।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य, एआईआर 1965 एससी 942 के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त द्वारा प्रलोभन देने या ले जाने की किसी भी सक्रिय भूमिका के बिना, केवल किसी नाबालिग के साथ जाना, व्यपहरण की कोटि में नहीं आता है।

21. इस बात में कोई विवाद नहीं है कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, हालांकि, केवल नाबालिग होना भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि ले जाने या बहलाने-फुसलाने का तत्व साबित न हो जाए।

22. अभियोजन मामले में, शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार, अभियोजन गवाह-2, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और उसकी गवाही इस बात पर आधारित है कि उसकी पत्नी ने उसे क्या बताया था। सूचनाकर्ता की पत्नी श्रीमती शांति देवी की गवाही भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वह प्रासंगिक समय पर पीड़िता के साथ उपस्थित नहीं थी और यह स्पष्ट करने में विफल रही है कि उसे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अभियुक्तों द्वारा कथित प्रलोभन के बारे में कैसे पता चला। इस प्रकार यह साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष या विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त व्यक्ति ने सक्रिय रूप से पीड़िता को ले लिया था या बहलाया-फुसलाया था।

23. अभियोजन गवाह-3 राज किशोर शर्मा और अभियोजन गवाह-4 बहोरी लाल की गवाही, जिन्होंने कथित तौर पर पीड़िता को अभियुक्तों के साथ देखा था, वाहन के प्रकार, अन्य यात्रियों की उपस्थिति और पूर्व परिचय न होने के बावजूद पीड़िता को पहचानने की उनकी क्षमता के संबंध में तात्त्विक विरोधाभासों से ग्रस्त है। यहां तक कि विचारण न्यायालय ने भी उनकी गवाही पर भरोसा नहीं किया।

24. प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के कई दिनों के विलंब के बाद दर्ज की गई थी। पीड़िता को ले जाने या बहला-फुसलाकर ले जाने के आवश्यक तत्व अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध साबित नहीं किए गए हैं। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तों ने पीड़िता को उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता से हटाने में बल प्रयोग, प्रलोभन या सक्रिय भागीदारी की हो।

25. उपरोक्त के दृष्टिगत, यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के आवश्यक तत्वों को साबित करने में विफल रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने, मुख्य रूप से सूचनाकर्ता प्रमोद कुमार और उसकी पत्नी की गवाही पर भरोसा करते हुए, अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया। दोषसिद्धि कमजोर सुनी-सुनाई बातों और अविश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित है। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि अभियोजन का मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अस्पष्टीकृत विलंब, महत्वपूर्ण गवाह का परीक्षण न करने, गवाहों की गवाही में विरोधाभासों और विश्वसनीय संपुष्टि के अभाव से ग्रस्त है।

26. अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के आवश्यक तत्वों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



27. अपील स्वीकार की जाती है। दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित निर्णय दिनांक 04.09.2002 एतद्वारा अपास्त किया जाता है। अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

28. अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और प्रतिभूतियों को उन्मोचित किया जाता है।

29. आवश्यक अनुपालन के लिए इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

18 मार्च, 2026

पी. पांडेय

(न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”